**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1908**
**02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**खाद्य शृंखला में भोजन पकाने के तेल के उपयोग पर प्रतिबंध**

**1908. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कैंसर कारक भोजन पकाने के तेल को खाद्य श्रृंखला से बाहर करना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि में ऐसे कोई प्रावधान हैं जो ऐसे कैंसर कारक भोजन पकाने के तेल के व्यापार, प्रसार और उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए नियम तैयार किए हैं कि खाद्य श्रृंखला कैंसर कारक में उपयोग किए गए भोजन पकाने के तेल का प्रवेश न होने पाए।

एफएसएसएआई ने यूसीओ को संग्रहित कर बायोडीजल और/या साबुन में परिवर्तित करने के लिए रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल (आरयूसीओ) पहल भी शुरू की है। इससे यूसीओ को खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से रोकथाम में सहायता मिलती है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध

और प्रतिबंध) संशोधन विनियम, 2020 के तहत 25% से अधिक कुल पोलर कम्पाउंड तैयार करने वाले वनस्पति तेल या वसा के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन है। इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें निगरानी, मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण कार्यकलाप करती हैं।

राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भोजन बनाने के तेल सहित खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं और विश्लेषण के लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां नमूने अधिनियम और बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, उनके लिए एफएसएस अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समय-समय पर एफएसएसएआई यूसीओ के उचित निपटान और उपयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और परामर्शिका जारी करता है।

*****